



## SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY

### SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY / HQ

Digitally Signed.  
Name: SANJAY KUMAR OSWAL  
(HJKWEK)  
Date: 07-Apr-2026 15:25:07  
Location: SECRZ/SECR

ID: 2026625038

Office Order No. : राज/82/2026

Office Of: प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

Date : 07-04-2026

सिविल इंजीनियरिंग विभाग के निम्नलिखित अधिकारी को एतद्वारा एम.ए.सी.पी. (MACP) योजना के अंतर्गत, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, अगले उच्चतर ग्रेड/स्तर में वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान किया जाता है:-

| Sr No. | Name /<br>HRMS ID /<br>Employee No /<br>Community      | Sub Type /<br>W.E.F            | Existing Particular                                                                               | Revised Particular                                                                                                                   | Remarks |
|--------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|        |                                                        |                                | Department /<br>Designation<br>Zone /Division/Station/Office/Section<br>BU<br>Pay Level/Basic Pay | Department /<br>Designation<br>Zone /Division/Station/Office/Section<br>BU<br>Pay Level/Basic Pay                                    |         |
| 1      | SHASHIKANT SINGH /<br>UPNUHK /<br>39700971030 /<br>GEN | MACP Promotion /<br>01-01-2025 | CIVIL ENGINEERING /<br>AXEN<br>SECR / NAGC / NGP / CE/CON/NGP /<br>3407009<br>10 / 95500          | CIVIL ENGINEERING /<br>AXEN<br>SECR / NAGC /NGP / CE/CON/NGP<br>3407009<br>10 / Will be fixed later<br>MACP: 3<br>MACP Pay Level: 11 |         |

1. इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।
2. एम.ए.सी.पी. (MACP) योजना के अंतर्गत संबंधित रेल सेवकों को केवल व्यक्तिगत आधार पर उच्चतर वेतनमान में रखने/वित्तीय लाभ (वित्तीय अपग्रेडेशन द्वारा) प्रदान करने का प्रावधान है। अतः इसे न तो कार्यात्मक/नियमित पदोन्नति माना जाएगा और न ही इसके उद्देश्य हेतु नए पदों के नियमित सृजन की आवश्यकता होगी।
3. इस योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान किए जाने पर पदनाम, वर्गीकरण या उच्चतर स्थिति (Status) में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि, वित्तीय और कुछ अन्य लाभ जो कर्मचारी द्वारा प्राप्त (आहरित) वेतन से जुड़े हैं, जैसे कि एच.बी.ए. (गृह निर्माण अग्रिम) और सरकारी आवास का आबंटन, अनुमन्य होंगे।
4. एम.ए.सी.पी.एस. (MACPS) के अंतर्गत वेतन निर्धारण के कारण यदि कोई कनिष्ठ कर्मचारी अपने वरिष्ठ कर्मचारी से अधिक वेतन प्राप्त करता है, तो ऐसी स्थिति में पे-बैंड या ग्रेड-पे में वेतन के 'स्टेपिंग अप' (Stepping up) की अनुमति नहीं होगी।
5. उपरोक्त अधिकारियों का वेतन वर्तमान प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाए।
6. संबंधित अधिकारी एस.पी.ई./सतर्कता/अनुशासन एवं अपील (D&A) मामलों से मुक्त होने चाहिए और उन पर वर्तमान में कोई दंड या वेतन वृद्धि पर रोक प्रभावी नहीं होनी चाहिए।
7. संबंधित अधिकारी के सेवा रिकॉर्ड (Service Record) में उपयुक्त प्रविष्टि की जानी चाहिए।

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/राज.

File Reference No. :P-HQ/GAZ/CIVIL/216299/310

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. PCE, PCPO, PFA, SDGM

2. CAO/CON, FA&CAO/CON, DY.CPO/CON/BSP
3. AFA/CON/NAG
4. OFFICER CONCERNED.
5. OFFICE ORDER FILE.

---

Annexure attached : 0 Pages

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/राज.